23-3-21 प्रार्थी एवं प्रार्थी के अधिवक्ता को बार-बार
फोन-फोन कर आमंत्रण दिलवाया गया
परन्तु अदालत में कोई भी उपस्थित
नहीं हुये है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-
पत्र अस्वीकार निरस्त किया जाता
एवं अदम पैरवी में खारिज किया
जाता है। क्रमांक के सामने अंकित नम्बर से कम है तथा बाद तकमील
प्रतिवेदन लेख मंजूर है कि मूलवाद
के संलग्न हो।

[redacted] अधिकारी
[redacted] (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 11:24:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner